न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 154/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजाराम पुत्र श्री रामकरण जाति कुम्हार निवासी– 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्री खेताराम जाति कुम्हार निवासी– चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरस्वती पत्नी श्री रामकरण जाति कुम्हार निवासी– चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुनीता देवी पुत्री रामकरण पत्नी रामनिवास जाति कुम्हार निवासी– 6 एसपीएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री महेश दादरवाल (वादी)
अधिवक्ता श्री महेन्द्रपाल गुप्ता (प्रतिवादी–1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14.01.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी का पेशा काश्तकारी है जिससे उसका एवं उसके परिवार का पालन पोषण होता है। वादी के दादा खेताराम पुत्र श्रीराम को वाके चक 2 ई छोटी के मुरब्बा नं. 76/49 के किला नं. 12 ता 25, मुरब्बा नं. 78/52 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 , मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 1 ता 10, मुरब्बा नं. 88/62 के किला नं.1 ता 25, मुरब्बा नं. 59/63 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 24 में कुल 80 बीघा कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी सन् 1957–58 दर्ज कागजात था। जमाबंदी संलगन वाद पत्र है। यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि कालान्तर में वादी के दादा की उक्त आराजी के मुरब्बा नम्बरो में परिवर्तन हो गया जिसके अनुसार मुरब्बा नं. 11 में कोई परिर्वतन नही हुआ, मुरब्बा नं. 78/52 पुराना नया मुरब्बा नं. 40, मुरब्बा नं. 53 पुराना नया मुरब्बा नं.39, पुराना मुरब्बा नं. 99/62 नया मुरब्बा नं. 43, पुराना मुरब्बा नं. 59/63 नया मुरब्बा नं. 42 दर्ज हो गया है। वादी के दादा की मृत्यु उपरान्त वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण को वादी के दादा खेताराम की आराजी में से वाके चक 2 ई छोटी के मुरब्बा नं.43 के किला नं. 1 ता 2, किला नं. 8 ता 13, किला नं. 18 से 23 रकबा 13.19 बीघा एवं मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 14/2, किला नं. 15/1, किला नं. 16/1, किला नं. 17/2 में इन सभी किलो में 2.04 (2 बीघा 4 बिस्वा) रकबा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इन दोनो मुरब्बो में 16 बीघा 3 बिस्वा रकबा प्राप्त हुआ है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है जिसमें वादी का उक्त आराजी में जन्म से एकल हक व अधिकार है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी को वाद पत्र के आगामी चरणो में प्रश्नगत सम्पति से सम्बोधित किया जावेगा। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत आराजी अपने पिता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति होने तथा उक्त आराजी पर जन्म से अधिकार होने के कारण वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण द्वारा प्रश्नगत आराजी में से मुरब्बा नं.11 के किला नं. 14/2 में 0.1580 हैक्टर किला नं. 15/1 में 0.088 हैक्टर, किला नं. 16/1 में 0.1010 हैक्टर, किला नं. 17/2 में 0.2020 हैक्टर नहरी कुल 05490 हैक्टर, मुरब्बा नं. 43 के किला नं.1 में 0.2280 हैक्टर, किला नं. 10 में 0.2530 हैक्टर, किला नं.11 में 0.25 30 हैक्टर, किलर नं. 20 में 0.2530 हैक्टर, किला नं. 21 में 0.2530 हैक्टर, किला नं. 19 में 0.2530 हैक्टर, किला नं.22 में 0.253 हैक्टेयर कुल 2.2950 हैक्टर रकबा बांटकर वादी को कब्जा दिया है। मौके पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 का उक्त आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी अपनी आराजी मौखिक बंटवारा अनुसार बांट रखी है तथा मौके पर काबिज काश्त है। प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मौखिक बंटवारा कर अपनी आराजी पर काश्त है तथा वादी को मुरब्बा नं.11 का रकबा तथा मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 1, 10, 11, 19, 20, 21, 22 का रकबा कुल 2.2950 हैक्टर रकबा हिस्सा में आया हुआ है इसलिए वादी उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा करने एवं अनुसार खाता विभाजन विभाजन करने का अधिकारी है। प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का हिस्सा है लेकिन पतिवादी संख्या 1 परिवार का कर्ता होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चली आ रही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया कि उक्त आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण बंटवारा होने के कारण वादी हिस्सा में जो आराजी आई है उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो संख्या 1 ने कई बार तो आश्वासन दिये लेकिन दिनांक 04.12.2020 को स्पष्ट इन्कार हो गये यही वाद कारण है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय या अन्य किसी के माध्यम से वादी के रकबा में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। प्रतिवादी संख्या 2 पारिवारिक सदस्य होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 आवश्यक पक्षकार होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिकी किये जाने का निवेदन किया गया :–

(क) कि प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने हिस्सा का परिक्षण करने के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मौखिक बंटवारा होने के कारण वादी को वाके चक 2 ई छोटी के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 14/2 में 0.1580 हैक्टर किला नं. 15/1 में 0. 088 हैक्टर , किला नं. 16/1 में 0.10 10 हैक्टर, किला नं. 17/2 में 0.20 20 हैक्टर नहरी कुल 0.5490 हैक्टर , मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 1 में 0.2 280 हैक्टर, किला नं. 10 में 0.25 30 हैक्टर, कला नं.11 में 0.25 30 हैक्टर, किला नं. 20 में 0.25 30 हैक्टर, किला नं. 21 में 0.25 30 हैक्टर, किला नं. 19 में 0.2530 हैक्टर, किला नं. 22 की 0.2 53 हैक्टेयर कुल 1.746 हैक्टर दोनो मुरब्बो में 2.2950 हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर इन किलो का खाता विभाजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में वाजिब हो।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 06.01.2021 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ने निम्न प्रकार से आपस में राजीनामा किया है:– राजाराम पुत्र श्री रामकरण के रकबा का विवरण– चक 2 ई छोटी के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 14/2 में 0.158 हैक्टेयर नहरी, किला नं. 15/1 में 0.088 हैक्टेयर, किला नं.16/1 में 0.101 हैक्टेयर, किला नं. 17/2 में 0.202 हैक्टेयर कुल 0.549 हैक्टेयर। मु. नं. 43 के किला नं.1 के 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 10 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 11 में 0.253 है., किला नं. 20 में 0.253 है., किला नं. 21 में 0.253 है., किला नं. 19 में 0.253 है., किला नं.22 में 0.253

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है., कुल 1.746 है. दोनो मुरब्बो में आई कृषि भूमि 2.295 हैक्टेयर नहरी भूमि, **रामकरण पुत्र श्री खेताराम** के रकबा का विवरण –चक 2 ई छोटी के मु.नं. 43 के किला नं. 2 में 0.228 है., किला नं. 8 में 0.253 है., किला नं.9 में 0.253 है.,किला नं.12 में 0.253 है., किला नं. 13 में 0.253 है., किला नं. 18 में 0.253 है., किला नं. 23 में 0.253 हैक्टेयर कुल 1.746 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं.3 सुनीता देवी, प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अपने अपने हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में कर रखा है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती इसलिए उपरोक्त वर्णित अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से घरेलू बंटवारा अनुसार खातेदारी घोषणा कर दावा डिकी कर दिया जावे तो हम पक्षकारान को कोई उजर एवं ऐतराज नही होगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत ग्राम पंचायत 2 एमएल (नाथांवाला) द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपनी भूमि के परित्याग सम्बन्धी सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 2 ई छोटी, पटवार हल्का 2 एमएल भू.अ.नि. क्षेत्र गंगानगर खाता संख्या 107/83 पेश की। वादी द्वारा विरास्तन इंतकाल के साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2014 ग्राम 2 ई छोटी, खाता संख्या 38/50, मिला क्षेत्र ग्राम 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

क्र.सं.	खातेदार नाम	रकबा का विवरण
1	राजाराम पुत्र श्री रामकरण जाति कुम्हार निवासी– 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 2 ई छोटी के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 14/2 में 0.158 हैक्टेयर नहरी, किला नं. 15/1 में 0.088 हैक्टेयर, किला नं.16/1 में 0.101 हैक्टेयर, किला नं. 17/2 में 0.202 हैक्टेयर कुल 0.549 हैक्टेयर। मु. नं. 43 के किला नं.1 के 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 10 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 11 में 0.253 है., किला नं. 20 में 0. 253 है., किला नं. 21 में 0.253 है., किला नं. 19 में 0.253 है., किला नं.22 में 0.253 है. कुल 1.746 है. दोनो मुरब्बो में आई कृषि भूमि 2.295 हैक्टेयर नहरी भूमि,
2.	रामकरण पुत्र श्री खेताराम जाति कुम्हार निवासी– चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 2 ई छोटी के मु.नं. 43 के किला नं. 2 में 0.228 है., किला नं. 8 में 0.253 है., किला नं.9 में 0.253 है.,किला नं.12 में 0.253 है., किला नं. 13 में 0.253 है., किला नं. 18 में 0.253 है., किला नं. 23 में 0.253 हैक्टेयर कुल 1.746 हैक्टेयर।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14.01.2021 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner